न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/11/2023 रजू दिनांकः 16.01.2023 रजि० न० 2023/22

अपीलार्थीः–

श्री मनोज कुमार खण्डेलवाल, निवासी 36, विकास पथ अलवर, जिला अलवर 301001 (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 27.02.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 08.12.2022 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 31.01.2023 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2023/421 दिनांक 23.02.2023 के माध्यम अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रा०पत्र दिनांक 08.12.2022 के माध्यम से राज्य सरकार के परिपत्र सं० 3718 दिनांक 31.12.91 की प्रति उपलब्ध कराने की वांछा इस कार्यालय से की गई है जो उचित नहीं है, संबंधित विभाग में आवेदन प्रस्तुत कर अपीलार्थी प्राप्त करें, शेष इस कार्यालय के पत्र सं० 2938–49 दिनांक 24.04.2022 की प्रति हेतु अपीलार्थी द्वारा कोई बड़ा जनहित सूचना आवेदन में दर्शित नहीं किया है जिस पर संबंधित अनुभाग से प्राप्त सूचना के आधार पत्र पत्र सं० 94 दिनांक 10.01.2023 के माध्यम से अपीलार्थी का सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतः लोक सूचना अधिकारी के जवाब एंव उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 27.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर अलवर (राज०)